न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2013/00017

1. भैरूलाल उम्र 48 साल आत्मज किशन गोपाल जाति नाई ।
2. भवानी शंकर उम्र 40 साल आत्मज किशन गोपाल जाति नाई ।
3. श्रीमती रामप्यारी बाई आयु 70 साल बेवा किशन गोपाल जाति नाई निवासीगण बडौदिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री चन्द्रमोहन शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट (मृतक) किशन गोपाल ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बडौदिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 274 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी को राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार दिनांक 06.05.1976 को नियमन किया गया जिसका इंतकाल वादी के पक्ष में इंतकाल संख्या 157 दिनांक 10.05.1977 को खोला जाकर वादी को गैर खातेदारी दर्ज की गई तब से ही उक्त भूमि पर वादी का कब्जा बहैसियत गैर खातेदार काश्तकार आज तक चला आ रहा है । सेटलमेंट के बाद उक्त भूमि के खसरा नम्बर 402 रकबा 1.03 हैक्टर

कायम किये गये । उक्त भूमि सेटलमेंट के बाद वादी के गैर खातेदारी में दर्ज न कर सिवायचक दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज की जानी चाहिए थी।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे । प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त आराजी को किसी भी व्यक्ति को आंवटित न किया जावे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2013 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2013 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि मृतक किशन गोपाल का पुराना कब्जा होने के कारण ही वादग्रस्त आराजी नियमन की गई थी । सेटलमेंट को इंतकाल संख्या 157 के आधार पर अपीलान्ट का नाम खातेदारी में दर्ज करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बडौदिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 274 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वसा स्थित है । जिसके नये खसरा नम्बर 402 की रकबा 1.03 हैक्टर निर्धारित किये गये हैं । यह आराजी किशनगोपाल आत्मज जगन्नाथ को दिनांक 06.05.1976 को नियमन हुई थी । किशन गोपाल को गैर खातेदारी भी मिल गई थी परन्तु सेटलमेंट विभाग ने इसको त्रुटिपूर्ण सरकारी सिवायचक दर्ज कर दिया । अपीलान्ट इस आराजी पर काबिज है । अपीलान्ट ने अपने दावे को परीक्षण न्यायालय में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से सिद्ध किया था फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाये हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2013 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादी के द्वारा हक घोषणा का दावा पेश किया था । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 402 रकबा 1.03 हैक्टर सरकार के खाते में दर्ज है । प्रदर्श– 2 मिलान क्षेत्रफल है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 274 मिन के हाल खसरा नम्बर 402 बने हैं । खसरा नम्बर 274 मिन के अन्य खसरा नम्बर भी इस मिलान क्षेत्रफल के अनुसार कायम किये गये हैं । प्रदर्श– 3 नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार किशनगोपाल की गैर खातेदारी में साबिक खसरा नम्बर 274 की 06 बीघा 09 बिस्वा आराजी दर्ज की गई है । पासबुक की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है ।

10. वादी के द्वारा बयान भैरूलाल पीडब्ल्यू–1, भवानीशंकर पीडब्ल्यू– 2 कराये गये हैं ।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर जवाबदावा सरकार संलग्न है और परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 तनकीयात कायम की हैं परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है जबकि सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 के अनुसार तनकीयात कायम हो जाने के उपरान्त तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । इस दृष्टि से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं रिकॉर्ड का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा